



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1936 (श0)
(सं0 पटना 788) पटना, बुधवार, 24 सितम्बर 2014

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

19 सितम्बर 2014

सं0 अ0सं0क0 06-12/2013-1929—मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-1477(अ0) दिनांक 06.06.2014 द्वारा केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 2 के खंड (च) अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जरदुश्त(पारसी) और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप जैन समुदाय को भी आर्थिक उत्थान हेतु विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सभी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।

2. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मार्गदर्शिका/ नियमावली इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।
3. उक्त लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 788-571+25-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>